निजता और सूचना का अधिकार: लोकहित की कसौटी

राजव्यवस्था व शासन | समाचार संदर्भ: 7 अगस्त 2026

व्यक्ति की निजी जानकारी की रक्षा जरूरी है। उतना ही जरूरी है कि निजता की आड़ में सार्वजनिक निर्णयों की जवाबदेही न खो जाए।

खबरों में क्यों

7 अगस्त 2026 की उच्चतम न्यायालय की सुनवाई में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 से सूचना का अधिकार अधिनियम में हुए बदलाव पर बहस हुई। याचिकाकर्ताओं ने खोजी पत्रकारिता और पारदर्शिता पर संभावित प्रभाव बताए। सुनवाई की रिपोर्ट में निजता और सूचना के अधिकार के संतुलन पर मौखिक टिप्पणियाँ दर्ज हैं; इन्हें अंतिम न्यायिक फैसला नहीं मानना चाहिए।

वास्तव में कौन-सा प्रावधान बदला?

डेटा संरक्षण अधिनियम की धारा 44(3) ने RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) को “व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचना” वाले संक्षिप्त अपवाद से प्रतिस्थापित किया। लेकिन धारा 8(2) का व्यापक लोकहित प्रावधान बना हुआ है। इसलिए “हर लोकहित अपवाद समाप्त हो गया” कहना गलत है।

मुख्य तथ्य

पुराने और नए पाठ का अंतर: पहले धारा 8(1)(j) में सार्वजनिक गतिविधि, निजता में अनुचित हस्तक्षेप और बड़े लोकहित का उल्लेख था। संशोधित उपधारा में वह विस्तृत कसौटी नहीं है। इससे प्रशासनिक व्याख्या और सूचना देने के व्यवहार पर प्रश्न उठते हैं।

धारा 8(2) को साथ पढ़ें: यह प्रावधान धारा 8(1) के अनुमत अपवादों के बावजूद सूचना तक पहुँच देने की अनुमति देता है, यदि प्रकटीकरण का लोकहित संरक्षित हितों को होने वाली हानि से अधिक हो। यह हर आवेदन को स्वतः स्वीकार करने का आदेश भी नहीं है।

प्रवर्तन की तारीख: 13 नवंबर 2025 की अधिसूचना ने धारा 44(3) को प्रकाशन से लागू किया। डेटा संरक्षण कानून के अन्य प्रावधान चरणों में लागू होने हैं। RTI संशोधन के लागू होने और पूरे डेटा संरक्षण ढाँचे के लागू होने को एक न समझें।

अदालत में दलील और निर्णय: पत्रकारिता पर प्रतिकूल असर की बात याचिकाकर्ताओं का तर्क है। इस लेख का समाचार आधार 7 अगस्त की रिपोर्ट की गई सुनवाई है; किसी अंतिम निर्णय या वर्तमान मुकदमा-स्थिति का दावा नहीं है।

दो अधिकारों को साथ कैसे सुरक्षित करें?

निजता का वास्तविक महत्व: स्वास्थ्य, परिवार या अन्य संवेदनशील निजी विवरण का अनावश्यक खुलासा गरिमा और सुरक्षा को नुकसान पहुँचा सकता है। सार्वजनिक पद धारण करने का अर्थ निजी जीवन की हर सूचना सार्वजनिक होना नहीं है।

जवाबदेही की जरूरत: सार्वजनिक व्यय और निर्णय-प्रक्रिया की जाँच में किसी व्यक्ति का नाम जुड़ सकता है। केवल यह तथ्य लोकहित संबंधी प्रश्न को समाप्त नहीं करता; उद्देश्य और संभावित हानि की ठोस जाँच चाहिए।

कम हस्तक्षेप वाला विकल्प: RTI की धारा 10 अलग की जा सकने वाली सूचना देने का आधार देती है। जहाँ संभव हो, अनावश्यक निजी विवरण हटाकर शेष रिकॉर्ड देना, पूर्ण अस्वीकृति और पूर्ण प्रकटीकरण के बीच उपयोगी रास्ता है।

विश्लेषण और आगे की राह

सूचना अधिकारी को कानून का पूरा पाठ पढ़कर कारणयुक्त निर्णय देना चाहिए। "व्यक्तिगत" शब्द को यांत्रिक मुहर बनाने से पारदर्शिता घट सकती है; दूसरी ओर लोकहित का अस्पष्ट दावा निजी नुकसान को हल्का नहीं कर सकता। मार्गदर्शिका, प्रशिक्षण और प्रभावी अपील से निर्णयों में एकरूपता बढ़ सकती है। लोकहित, हानि और सीमित प्रकटीकरण की संभावना को लिखित रूप से परखना दोनों अधिकारों के सम्मान का बेहतर प्रशासनिक तरीका है।

अवधारणा में अंतर

व्यक्तिगत जानकारी पर अपवाद का विस्तार और प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण निषेध अलग बातें हैं। इसी तरह मौखिक न्यायिक टिप्पणी, याचिकाकर्ता की दलील और बाध्यकारी अंतिम निर्णय अलग हैं।

मेंस दृष्टि

उत्तर को "निजता बनाम पारदर्शिता" के कठोर द्वंद्व में न बाँधें। धारा 8(2), अलग किए जा सकने वाले रिकॉर्ड और कारणयुक्त निर्णय से संतुलन समझाएँ।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

"निजता की रक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं होने चाहिए।" सूचना का अधिकार व्यवस्था में लोकहित परीक्षण और सीमित प्रकटीकरण की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: निजता को गरिमा और सुरक्षा तथा सूचना तक पहुँच को सार्वजनिक जवाबदेही से जोड़कर दोनों अधिकारों के सहअस्तित्व का प्रश्न रखें।

मुख्य भाग में: संशोधित धारा 8(1)(j) के व्यक्तिगत जानकारी संबंधी अपवाद और धारा 8(2) के व्यापक लोकहित प्रावधान को अलग समझाएँ। सार्वजनिक निर्णय या व्यय की जाँच में लोकहित को संभावित निजी हानि से तौलें; सार्वजनिक पद से हर निजी सूचना सार्वजनिक नहीं होती। धारा 10 के तहत अलग किए जा सकने वाले रिकॉर्ड में अनावश्यक निजी विवरण हटाकर शेष सूचना देना पूर्ण अस्वीकृति और पूर्ण प्रकटीकरण के बीच विकल्प है।

निष्कर्ष में: कारणयुक्त निर्णय, लोकहित और हानि की लिखित जाँच, सीमित प्रकटीकरण तथा प्रभावी अपील सुझाएँ। न व्यक्तिगत जानकारी को हर परिस्थिति में पूर्ण निषेध मानें, न अस्पष्ट लोकहित के नाम पर निजी नुकसान की उपेक्षा करें।

स्रोत

- CIC: RTI अधिनियम का संशोधित पाठ, धाराएँ 8 और 10
- उच्चतम न्यायालय की 7 अगस्त 2026 की सुनवाई का विवरण

- आधिकारिक अधिसूचना: चरणबद्ध प्रवर्तन, 13 नवंबर 2025

याद रखें: धारा 8(1)(j) बदली है; धारा 8(2) का व्यापक लोकहित प्रावधान समाप्त नहीं हुआ है।